निबंध

400 शब्दों में सारगर्मित निबंध लिखिए।

1. राजस्थान : भाषा और साहित्य

प्रस्तावना-- कभी मारवाड़. मेरवाड़ा, मरुस्थान आदि नार्मों से पुकारे जाने वाले प्रदेशों को ही आज राजस्थान कहा जाता है। इतिहासकार टॉमस ने इसको राजपूताना तथा कर्नल टाड ने इसे राजस्थान कहा है। पूर्वकाल में इस प्रदेश में प्रचलित साहित्यिक भाषा को डिंगल' कहा जाता है। डिंगल में ही समस्त रासो ग्रयों तथा वीरगीत कार्यों की रचना हुई है। आज राजस्थान में व्यापक रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजस्थानी नाम से जाना जाता है।

राजस्थानी भाषा तथा उसकी विभाषाएँ-- कुछ भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के प्रचलन में आने से पूर्व ही राजस्थानी भाषा का विकास हो चुका था। आठों सदी के ग्रन्थ 'कुवतापमाला' में राजस्थानी के लिए मरु' भाषा का प्रयोग हुआ है। आगे चलकर राजस्थान की भाषा के मरभाग, मरुवानी आदि नाम भी प्राप्त होते हैं। राजस्थानी को विभाषाओं अर्थात् बोलियों का विकास भी हिन्दी को अन्य बोलियों से पूर्व हो

नुका था। मारवाड़ी, बीकानेरी, मालजी, उदयपुरी, मेवाती आदि बोलियों का उल्लेख विभिन्न ग्रन्थों में हुआ है। आज भी पाप ये सभी बोलियाँ राजस्थान में प्रचलित हैं। राजस्थानी के वर्तमान साहित्य पर भी इनको छप परिलक्षित होती है।

राजस्थानी भाषी क्षेत्र-- राजस्थानी भाषा का मुख्य क्षेत्र राजस्थान की पूर्ववर्ती सभी रियासतों के भू-भाग में व्याप्त है। जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर आदि के साथ-साथ राजस्थान से सटे अन्य प्रदेशों के भी कुछ स्थानों में राजस्थानी का प्रयोग होता है। पंजाब के कुछ स्थानों, हरियाणा के कुछ जिलों तथा मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों में राजस्थानी बोली जाती है। इसके प्रभाव क्षेत्र में सिन्ध, कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा महाराष्ट्र के भी कुछ भू-भाग आते हैं।

राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियाँ-- राजस्थानी भाषा की चार प्रमुख बोलियाँ मानी गई हैं–मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की पाँच बोलियाँ मानी हैं–(i) मारवाड़ी, (ii) जयपुरी, (iii) मालवी, (iv) मेवाती, (v) भीली।

राजस्थानी भाषा का साहित्य- राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप 'डिंगल' नाम से जाना जाता है। डिंगल में रासो काव्य तथा वीरगीतों के अतिरिक्त पर्याप्त आंचलिक साहित्य की रचना हुई है। चन्दवरदाई, नरपति नाल्ह, पृथ्वीराज, बाँकीदास, नाथूदान, करणीदास, सूर्यमल्ल इत्यादि राजस्थानी के प्रसिद्ध प्राचीन कवि हैं। 'पृथ्वीराज रासो', 'खुमान रासो', 'वीसलदेव रासो', 'परमाल रासो' (आल्हा-खण्ड)

इत्यादि प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। आधुनिक राजस्थानी साहित्य पर खड़ी बोली का व्यापक प्रभाव है। नवीन राजस्थानी कविगण भाषा, छन्द, अलंकार आदि क्षेत्रों में नये प्रयोग कर रहे हैं। उनकी भाषा के स्वरूप भी आधुनिक खड़ी बोली हिन्दी कविता के वहुत निकट है। उनका वर्ण्य-विषय भी वर्तमान समाज के कृषक-मजदूर तथा आम पीड़ित जनों की समस्यायें हैं। डॉ. तारा प्रकाश जोशी की निम्नलिखित पंक्तियाँ दर्शनीय हैं–

पूरब से पश्चिम तक फैली,

कानूनों की काली स्याही।

यहाँ वही अपराधी केवल,

जिसका कोई नहीं गवाही।

नन्दचतुर्वेदी, मरुधर मृदुल, डॉ. सावित्री डागा, डॉ. प्रभा वाजपेयी, मीठेश निर्मोही, अम्बिका दत्त, प्रीता भार्गव इत्यादि अपनी रचनाओं से राजस्थानी साहित्य का भण्डार भर रहे हैं। उपसंहार राजस्थान वीरभूमि है। शौर्य, बलिदान और त्याग के उदाहरण राजस्थानी भाषा के साहित्य में भरे पड़े हैं। रणभूमि में वीरों की हुंकार और उनकी तलवारों की झंकार सदा गूंजती रही है। वीर, शृंगार और शांत रस राजस्थानी साहित्य में प्रधान रहे हैं। आज का राजस्थानी साहित्य नवीन परिवर्तनों तथा युगबोध से प्रभावित है। आज के साहित्य में भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों की स्पष्ट छाप है। विकास के पथ पर निरन्तर बढ़ते राजस्थान की छवि उसके साहित्य में भी दिखाई दे रही है।

2. बढ़ती तकनीक-सुविधा या समस्या

(1) प्रस्तावना (2) नई तकनीकें, नए मुद्दे (3) नई तकनीकों के लाभ (4) अनैतिक पक्ष (5) उपसंहार ।

(1) प्रस्तावना--- व्यक्ति का विकास और पूरे देश का विकास नई-नई लाभकारी तकनीकों से जुड़ा हुआ है। आज की दुनिया में मानव जीवन का कुशल-क्षेम और अस्तित्व विज्ञान और तकनीक के बुद्धिमानी से प्रयोग पर आधारित हो गया है। नई-नई तकनीकों के प्रयोग ने मानव जीवन को सहजजीवी, सविधाजनक और रोचक बनाया है, इसम संदेह नहीं लेकिन नई तकनीकों से जुड़े नैतिक पक्षों पर उँगलियाँ भी उठने लगी हैं। ऐसे मानकों को लागू करने का माँग उठने लगी है जो तकनीक को नैतिक नियंत्रण में बाँधे रखे।

(2) नई तकनीकें, नए मुददे--- विज्ञान के उन्नत होने के साथ ही नई तकनीकें भी सामने आती रही हैं। इसक साथ ही नए-नए मुद्दों पर भी बहस प्रारम्भ हुई है। ज्ञान और प्रयोग-कौशल के संयोग से ही तकनीक जन्म लेती है। नई तकनीक से जुड़े नवीनतम मुद्दों को लेकर विवादों ने भी जन्म लेना

आरम्भ कर दिया। रोबोट तकनीक से उधागा और कठिन कार्यों के संपादन में सहायता मिली। अंतरिक्ष अभियानों ने ब्रह्माण्ड के संबंध में हमारा ज्ञानवधन किया। लेकिन इन पर होने वाले करोड़ों-अरबों के बजट की सार्थकता पर सवाल उठे हैं। इसी तरह GM. फसला से पैदावार में जहाँ वृद्धि हुई है वहीं उनसे जुड़ी कंपनियों के एकाधिकार पर और G.M. फसलों से अन्य फसलों के कुप्रभावित होने पर विवाद होते आ रहे हैं।

कृषि वैज्ञानिक स्वामी नाथन ने B.T. कपास को लेकर और किसानों की आजीविका की सुरक्षा को लेकर संदेह व्यक्त किया है। यह नई तकनीक का ही परिणाम है।

इसी प्रकार चीनी वैज्ञानिक द्वारा 'डिजाइनर बेबी' को जन्म देने की तकनीक भी विवादों में घिर चुकी है। नई तकनीकों को अपनाए जाने के अनेक लाभ गिनाए जाते हैं जैसे--

(i) B.T. Cotton की खेती से उत्पादन अधिक मात्रा में होता है।

(ii) रोबोटिक्स की तकनीक अपनाकर अनेक संकटपूर्ण प्रयोग, बिना हानि के संपन्न किए जा सकते हैं। उद्योगों में रोबोट के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

(iii) जीन एडिटिंग (जीन के स्तर पर बदलाव) से मनचाहे गुणों वाले 'डिजायनर बेबी' उत्पन्न किए जा सकते हैं।

(iv) G.M. फसलों से अन्न उत्पादन में वृद्धि करके भूख की समस्या हल की जा सकती है।

(v) B.T. Cotton की खेती से कपास का उत्पाद सुरक्षित और मात्रा में काफी अधिक होता है। नई तकनीक से ही अमेरिका में जीन संवर्द्धित सुनहले चावल पैदा किए गए।

(vi) जीन एडिटिंग द्वारा कई असाध्य रोगों का उपचार हो सकता है।

इन लाभों के साथ ही इनसे जुड़े हुए अनैतिकता के आक्षेप भी हैं। जैसे-

(i) GM. फसलों ने जहाँ उत्पादन बढ़ाया है वहीं बीज निर्माता कंपनी को मनमाने दाम वसूलने का अधिकार भी दे दिया है।

(ii) G.M. फसलों के चारे को पशुओं को खिलाए जाने के दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। दुधारू पशुओं पर इस चारे का नकारात्मक प्रभाव हुआ है।

(ii) किसान G.M. फसलों से अपने लिए बीज पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी बीज कंपनियों के उस पर

प्रापर्टी राइट (एकाधिकार) होते हैं।

(iv) जीन तकनीक व्यक्ति में चिकित्सकीय सुधार तक ही सीमित नहीं रह सकती। उसके द्वारा बनाए गए 'डिजायनर बेबी' समाज में जैविक असमानता उत्पन्न कर सकते हैं। इससे समाज या तकनीकी रूप से समृद्ध वर्ग तेजी से विकास करते हुए आगे बढ़ जाएगा बाकी लोग पिछड़ जाएँगे।

(v) जीन एडिटिंग (जीन में सुधार) से व्यक्तिगत पहचान कठिन हो सकती है।

(5) उपसंहार-- नैतिक चरण को मान्यता देते हुए एक सभ्य और समानता युक्त समाज को सुरक्षित बनाए रखना संवैधानिक दृष्टि से भी परम आवश्यक है। नई तकनीक का प्रयोग मानव जीवन के उत्थान के लिए हो। लेकिन अन्य प्राणियों की विविधता और सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान रखा जाये। नई तकनीक का बहिष्कार भी बुद्धिमानी नहीं है। उसके हर पक्ष पर बारीकी से विचार करते हुए अपनाना ही उचित है।

3. प्राकृतिक आपदाएँ : कारण और निवारण

(1) प्रस्तावना

(2) प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार

(3) आपदाओं के कारण

(4) निवारण के उपाय

(5) जनता और सरकारी प्रयासों में तालमेल

(6) उपसंहार ।

(1) प्रस्तावना-- जब से इस धरती पर मानव का निवास प्रारम्भ हुआ है, उसे निरंतर प्रकृति से संघर्ष करना पड़ा है। जिसे हम प्रकृति का कोप या प्राकृतिक आपदा कहते हैं वह प्रकृति में घटने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन परिस्थितिवश या अपने स्वार्थों और सुख-साधनों की पूर्ति के लिए मानव द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिन से भयंकर प्राकृतिक आपदाएँ सदा मनुष्य के सिर पर मँडराती रहती हैं।

(2) प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार-- प्राकृतिक आपदाएँ अनेक रूपों में मनुष्य पर प्रहार करती आ रही हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूमि का धंसना, भूकंप, समुद्री तूफान, बादल फटना, बिजली गिरना, जंगलों में भयंकर आग लगना आदि प्राकृतिक आपदाओं के विविध स्वरूप हैं।

(3) आपदाओं के कारण-- प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्राकृतिक घटनाएँ ही जिम्मेदार नहीं होती। मनुष्य का प्रकृति पर विजय पाने का अहंकार भी इसका कारण होता है। विकास के नाम किए जाने

वाले अनेक कार्य ही विनाश का कारण बन जाते हैं। भूमंडल के तापमान में वृद्धि होने के कारण पर्वतों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे नदियों में बातें आ रही हैं। ध्रव प्रदेशों की बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर ऊँचा हो रहा है। इससे समुद्र तटीय नगरों और बस्तियों के समुद्र में समा जाने का खतरा बढ़ रहा है।

वनों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा का जल धरती की उपजाऊ परतों को बहाकर ले जा रहा है। बड़े-बड़े बाँधों के बनाने से भकंप और जल प्रलय की विनाशलीला को निमंत्रण दिया जा रहा है। पहाड़ी प्रदेशों में विघटन के नाम पर सड़कों का निर्माण, खुदाई और विस्फोट, पर्वतों के संतुलन को बिगाड़ रहा है और चट्टानों का टूटकर गिरना, एक आम बात हो गई है।

(4) निवारण के उपाय-- प्राकतिक आपदाओं पर नियंत्रण कर पाना मनुष्य की शक्ति से परे है। हम प्राकृतिक आपदाओं के स्वरूप और उनसे हए विनाश को ध्यान में रखकर केवल आत्मरक्षा और त्वरित सहायता के उपाय ही कर सकते हैं। प्रकति का स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति से शोषण रोकना होगा। विशाल बाँधों का निर्माण बंद करना होगा। उद्योगों के लिए वनों का काटना कम से कम करना होगा। वक्षारोपण को एक आंदोलन का रूप देना होगा। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सदा तैयारी रखें। बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं के लिए व्यवस्थित संगठन होने चाहिए।

(5) जनता और सरकारी प्रयासों में तालमेल-- प्राकृतिक आपदाओं के आने पर जनता और सरकार के बीच तालमेल होना आवश्यक है। स्वैच्छिक सहायता-संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विपत्ति के समय सरकारी विभाग तो अपना कार्य करते ही हैं, जनता को भी आपदा के शिकार लोगों की तन, मन और धन से सहायता को आगे आना चाहिए।

(6) उपसंहार-- प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है। धरती के गर्भ में क्या प्राकृतिक क्रियाएँ चल रही हैं, यह पता लगाना आसान काम नहीं है। भूकंप आने पर ही पता चलता है कि उसका केन्द्र कहाँ था। कितनी शक्ति का भूकंप था? आग लगने पर कुआँ खोदने वाले अपनी हँसी तो कराते ही हैं साथ ही आपदा का प्रहार भी इन्हें झेलना पड़ सकता है। प्रकृति पर मनुष्य कभी पूर्ण विजय पा लेगा और प्राकृतिक आपदाएँ आना बंद हो जाएँगी, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अतः अपने सारे ज्ञान और तकनीकों से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के उपाय करते रहना ही बुद्धिमानी है।

4. यदि मैं शिक्षा मंत्री होता

(1) प्रस्तावना

(2) शिक्षा का उद्देश्य

(3) वर्तमान शिक्षा और परीक्षा प्रणाली

(4) शिक्षा का माध्यम

(5) व्यवसायपरक शिक्षा हो

(6) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना-- अपने अब तक के छात्र जीवन में मुझे जो अनुभव हुए हैं, जो समस्याएँ सामने आई हैं, उनसे मेरे मन में एक सपना जाग गया है कि यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो अपने प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में क्या-क्या परिवर्तन करना चाहता। एक छात्र के रूप में मेरी शिक्षा मंत्रालय से क्या-क्या अपेक्षाएँ होती।

(2) शिक्षा का उद्देश्य--- प्रश्न उठता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विचार करने पर उत्तर आता है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। केवल डिग्रियाँ बाँट देने से शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। छात्र के वर्तमान और भावी जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की योग्यता विकसित करना भी शिक्षा का ही उद्देश्य है। छात्र को अपना व्यवसाय चुनने और उसे लक्ष्य बनाकर तैयारी करने का अवसर शिक्षा द्वारा मिलना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति के आचार-विचार, वेशभूषा, व्यवहार आदि में शालीनता होनी चाहिए। शिक्षा छात्र को उसके कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराने वाली होनी चाहिए। तन-मन से स्वस्थ सामाजिक दायित्वों का आदर करने वाले नागरिक तैयार करना भी शिक्षा का ही लक्ष्य होता है।

(3) वर्तमान शिक्षा और परीक्षा प्रणाली-- क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली से छात्रों की उपर्युक्त अपेक्षाएँ पूरी हो रही हैं? इसी के साथ यह भी प्रश्न जुड़ा हुआ है कि क्या हमारी परीक्षा प्रणाली छात्र की शैक्षिक योग्यता का सही मूल्यांकन कर पा रही है। हमारी शिक्षा और प्रणालियाँ संतोषजनक नहीं हैं। एक शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा व्यवस्था को समयानुकूल बनाने के लिए मेरी जो योजनाएँ होती, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं--

(i) पाठ्यपुस्तकों का बोझ कम करना--- आज बच्चे अपने बोझिल स्कूल बैग को कंधों पर लादे बड़े दयनीय दिखाई देते हैं। मैं केवल उपयोगी और शिक्षा-विशेषज्ञों द्वारा चुनी गई पुस्तकों को ही पाठ्यक्रम में स्थान दिलाता।

(ii) शिक्षा के माध्यम की भाषा--- आज शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाने की विद्यालयों में होड़ लगी है। अभिभावक भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में ही प्रवेश दिलाना चाहते हैं। मैं छात्र की मातृभाषा और प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने पर बल देता।

(ii) मैं विद्यालयों में किताबी शिक्षा के साथ-साथ पाठ्येत्तर क्रिया कलापों जैसे खेल, अभिनय, समाज सेवा आदि को भी सम्मिलित करता।

(iv) व्यावसायपरक शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान कराना-मेरा प्रयास होगा कि छात्र जब शिक्षा पूरी करके बाहर जाएँ तो उन्हें रोजगार के लिए न भटकना पड़े। वे क्रियात्मक रूप से व्यवसाय में दक्ष बनें। अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहने वाले छात्रों को बैंकों से शिक्षा ऋण आसानी से प्राप्त हो सकें।

(v) प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का प्रबन्ध कराना भी मेरे दायित्वों में शामिल होगा।

(vi) विद्यालयों के वातावरण को शिक्षा के प्रति अनुकूल बनाने पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा।

(vii) शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा प्रणाली के विशेषज्ञों की समितियाँ बनवाकर उनके विचारों और अनुभवों से लाभ उठाया जाएगा।

(6) उपसंहार-- शिक्षा मंत्री के रूप में मैं सदा ध्यान रखेंगा कि मुझे एक ऐसे विभाग को सँभालने का दायित्व मिला है जो देश की भावी पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने वाली कार्यशाला है। हमारी शिक्षा व्यवस्था न केवल भारत को बल्कि विश्व को ऐसे नागरिक, उद्यमी, वैज्ञानिक, शिक्षक, समाज सुधारक और राजनेता प्रदान करे जिनसे विश्व शान्ति और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त हो। आदर्श शिक्षा प्रणाली.ही भारत को पुनः विश्व गुरु के आसन पर प्रतिष्ठित करा सकती है। ।

5. दैनिक जीवन में विज्ञान रूपरेखा

(1) प्रस्तावना

(2) आज का सामाजिक जीवन

(3) दैनिक जीवन में विज्ञान की व्यापक उपस्थिति और प्रभाव

(4) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना-- विज्ञान क्या है? विज्ञान को किसी निश्चित परिभाषा में बाँध पाना कठिन है। यह कहा जा सकता है कि क्रमबद्ध रूप में प्रयोग सिद्ध विशिष्ट ज्ञानं ही विज्ञान है। जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित ज्ञान विज्ञान की परिधि में आ सकता है। जब से मानव ने इस धरती पर जीना आरंभ किया तभी से उसकी स्मृति में नए-नए अनुभव जुड़ते चले गए। अनुभवों का यह भण्डार ही विज्ञान कहा जा सकता है।

(2) आज का सामाजिक जीवन--- आज मनुष्य का सामाजिक जीवन अपने पूर्वजों से बहुत भिन्न रूप ले चुका है। अज्ञान, अंधविश्वास और अक्षमताओं से भरे मानव जीवन में विज्ञान एक प्रकाश स्तम्भ के समान ज्योति बिखेर रहा है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने सामाजिक जीवन को सुख, सुविधा और सुरक्षा से पूर्ण बनाया है। मानव जीवन को प्रकृति के प्रहारों से बचाते हुए निरंतर विकास के पथ पर चलाया है। यही कारण है कि आज का समाज विज्ञान का ऋणी बना हुआ है। नई-नई तकनीकों के आविष्कार ने उसकी अनेक समस्याओं का निदान किया है।

(3) दैनिक जीवन में विज्ञान की व्यापक उपस्थिति और प्रभाव-- जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान की उपस्थिति और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वह हमारी हर चुनौती में सहृदय सहयोगी बना दिखाई देता है। हर पेशे को विज्ञान से नई दिशा और नए उपकरण प्राप्त होते रहे हैं। हम छात्र हैं तो वह शिक्षा को सुलभ बना रहा है हम उद्यमी हैं तो वह उत्पादन बढ़ाने के रास्ते बता रहा है। हम आस्थावान धर्मानुयायी हैं तो विज्ञान हमें सुदूर तीर्थस्थलों की सुगम यात्रा करा रहा है। हम महत्वाकांक्षी राजनीतिक व्यक्ति हैं तो वह विज्ञान हमारे विचारों और वायदों को जन-जन तक पहुँचा रहा है। .

विज्ञान को वरदान मानने वाले इसके पक्ष में ढेरों उदाहरण प्रस्तुत करते आ रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी आवश्यकताओं में विज्ञान हमारा सहयोगी है। अन्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने लाभदायक खाद और बीजों का आविष्कार किया है। सिंचाई के उन्नत साधनों का निर्माण हुआ है। वस्त्र निर्माण के कारखानों में नाना प्रकार के वस्त्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। सबको आवास उपलब्ध कराने की सरकारी योजनाएँ विज्ञान द्वारा आविष्कृत यंत्रों पर निर्भर हैं।

चिकित्सा के क्षेत्र में असाध्य रोगों का उपचार नए अनुसंधानों और तकनीकों के प्रयोग से ही संभव हुआ है। जीन में सुधार संभव हो जाने से आनुवंशिक बीमारियों का दूर होना संभव हो गया है।

सुरक्षा के क्षेत्र में देखें तो हमारे अपने ही देश में एक से एक बढ़कर अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण जारी है। हमारे पास अन्तर महाद्वीपीय मिसाइलें हैं। रूस द्वारा दी गई मिसाइल ध्वंसक तकनीक प्रणाली विज्ञान का ही उपहार है। वैज्ञानिक उपकरणों के बल पर ही हम पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों पर काबू रख पा रहे हैं। गृहणियों के लिए तो विज्ञान ने अनेक घरेलू यंत्र निर्मित कर दिए हैं। खाना बनाने के लिए गैस चूल्हे, कुकर, फ्रिज, वाशिंग मशीन आदि यंत्रों ने महिलाओं के बोझिल जीवन को सरल बना दिया है। अब महिलाएँ निश्चिन्त होकर कोई भी लाभकारी काम कर सकती हैं। बच्चों को समय दे सकती हैं, विश्राम और मनोरंजन भी कर सकती हैं।

अंतरिक्ष में भारत की धाक जमाने वाले उसके प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ही हैं। परमाणु शक्ति के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति भी अनेक उज्ज्वल संभावनाओं का विश्वास दिला रही है। नए-नए ईंधन और ऊर्जा

स्रोत आविष्कृत हो रहे हैं । सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति आदि के माध्यम से विज्ञान मानव समाज के भविष्य को सँवार रहा है।

(4) उपसंहार--- विज्ञान न केवल दैनिक जीवन में बल्कि मानव जीवन के वर्तमान और आगामी जीवन में आने वाली हर संभावित चुनौती का हल लेकर हमारे द्वार पर खड़ा है। वह मानव जाति का विश्वसनीय सहयोगी है। बस विज्ञान को अपने चिंतन और व्यवहार पर हावी नहीं होने देना है। उसका समुचित उपयोग करना है।

6. कोरोना काल और शिक्षा

(1) प्रस्तावना

(2) शिक्षा संस्थाओं पर प्रभाव

(3) ऑन लाइन शिक्षा की विफलता

(4) शिक्षा पर वैश्विक कुप्रभाव के प्रमाण

(5) सुधार के उपाय

(6) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना--- जिन रोगों से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है और जो संक्रमण से फैलते हैं, उन्हें महामारी कहा जाता है। महामारियों से मानव समाज का पुराना परिचय रहा है। प्लेग, हैजा, चेचक, डेंगू, फ्ल्यू आदि रोगों में एक और महामारी का नाम जुड़ गया है। वह है कोविड 19 या कोरोना। इस प्राकृतिक आपदा ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। वैसे तो सारा सामाजिक ताना-बाना इससे चरमरा गया लेकिन विश्व की शिक्षा व्यवस्था पर इस विपत्ति का गहरा प्रभाव हुआ है।

कोरोना का आरंभ चीन से माना जाता है। थोड़े ही समय में इस रोग ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। चिकित्सा सेवाएँ नाकाफी साबित हुईं। सतर्क देशों ने इस संकट की भयंकरता को भाँप कर लाक डाउन व्यवस्था प्रारंभ कर दी। सारी सामाजिक गतिविधियों पर विराम-सा लग गया। लोग घरों में बंद हो गए। विद्यालय बद कर दिए गए। मास्क और 6 फीट की दूरी आवश्यक बना दी गई।

(2) शिक्षा संस्थाओं पर प्रभाव--- शिक्षा संस्थाओं पर इस विपत्ति का प्रहार कई रूपों में हुआ। छात्रों को घर में 'रोकना कठिन हो गया। शैक्षिक वर्ष व्यर्थ जाने की आशंकाएँ मँडराने लगीं। शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन चुकाने के लाले पड़ने लगे।

(3) ऑन लाइन शिक्षा की विफलता--- छात्रों का अध्ययन चलता रहे, इसके लिए ऑन लाइन शिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की गई। कई कारणों से यह विकल्प संतोषजनक सिद्ध नहीं हुआ। मोबाइल फोन या कम्प्यूटर पर कक्षा जैसा वातावरण बन पाना संभव नहीं था। निर्धन परिवार के छात्र-छात्राओं के लिए स्मार्ट फोन का प्रबंध करना एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया।

(4) शिक्षा पर वैश्विक कुप्रभाव के प्रमाण-- सारे विश्व की शिक्षा व्यवस्था पर इस महामारी का दुष्प्रभाव पड़ा है। कुछ संस्थाओं ने इसके प्रमाण जुटाए हैं। ह्यूमन राइट्स वाच (Human Rights, Watch) नामक संस्था की रिपोर्ट बताती है कि महामारी के कारण स्कूल बंद होने से बच्चों के शिक्षा पाने के अधिकार में बाधाएँ आई हैं। ऑन लाइन शिक्षण की सुविधाएँ हर देश अपने छात्रों को नहीं दे पाया। संस्था ने अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक 60 देशों में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का साक्षात्कार करके साक्ष्य जुटाए। ह्यूमेन राइट्स संस्था ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि लाखों छात्रों के लिए स्कूलों का बंद होना उनकी शिक्षा में व्यवधान मात्र नहीं है बल्कि इससे उनकी पढ़ाई दोबारा आरंभ हो पाना कठिन हो गया है। इस संस्था द्वारा एकत्र किए गए अधिकांश बयान नकारात्मक और निराशाजनक हैं।

(5) सुधार के उपाय--- अब धीरे-धीरे कोरोना का प्रभाव घट रहा है। शैक्षिक गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई हैं। अब शिक्षा की बेपटरी हुई गाड़ी को पुनः पटरीयों पर लाने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। कुछ सुझाव शिक्षा-विशेषज्ञों, शिक्षकों, अभिभावकों और सरकारी विभागों से सामने आए हैं–

(i) शिक्षकों को डिजिटल तरीकों से अध्यापन करने का प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए।

(ii) निर्धन परिवारों के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा में आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(iii) महामारी के दौरान जिन छात्रों की शिक्षा बंद हो गई है, उन्हें सरकारें पुनः स्कूलों में प्रवेश दिलाएँ।

(iv) महामारी से जिन छात्रों के अभिभावक दिवंगत हो गए, उनको विशेष आर्थिक अनुदान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना विश्व के सभी देशों की सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

(6) उपसंहार-- महामारी ने सारे विश्व के नागरिकों को जहाँ बुरी तरह प्रभावित किया है वहीं उसने चेतावनी भी दी है कि वह अभी गई नहीं है। कोरोना नए-नए रूप बदलकर और अधिक आक्रामक रूप में सामने आ रहा है। डेल्टा और ओमिक्रान इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। समाचार पत्र बता रहे हैं कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है। अतः यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की शिक्षा में फिर से बाधा न आए तो हमें कोरोना से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

ध्यान रहे- 'दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी।' ।

'भीड़ में गया, वह भाड़ में गया।'

7. मानव की चिरसंगिनी प्रकृति

प्रस्तावना-- भारतीय मनीषियों ने सृष्टि को चेतन जीव और जड़ प्रकृति का संयोग माना है। विज्ञान जीव या जीवन को भी जड़ प्रकृति का ही एक उत्पाद मानता है। उसके अनुसार जीवन कल, 'अमीनो एसिड्स' का विशिष्ट संयोग मात्र है। वैज्ञानिक हर मानवीय संवेदना और व्यवहार की जनटिक' व्याख्या करने में जी जान से जुटे हुए हैं। 22 मई. के समाचार पत्रों में छपा है कि 'पाइन्य' जर्नल ने एक शोध पत्र 'प्रयोगशाला में जीवन की उत्पत्ति' में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया है। जो प्रकृति और मानव के सम्बन्धों का स्पष्ट प्रमाण है। सत्य जो भी हो. किन्तु मानव और प्रकृति के बीच सम्बन्ध को लेकर दार्शनिकों, धार्मिकों और वैज्ञानिकों की राय अधिक भिन्न नहीं है।

प्रकृति और मानव का अटूट सम्बन्ध– मनुष्य इस पृथ्वी नामक ग्रह पर अपने जन्म से लेकर आज तक प्रकृति पर आश्रित रहा है। भले ही अपने विशिष्ट बौद्धिक क्षमता के बल पर. वह प्रकृति पर शासन करने का अहंकार करता रहे. किन्तु कभी भूकम्प, कभी सुनामी और कभी प्रचण्ड तूफानों के रूप में प्रकृति उसे अपनी सर्वोपरि शक्ति का और उसकी औकात का परिचय कराती आ रही है। प्रसाद ने कहा है कि

प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब थे भूले मद में।

भोले, हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में।। -कामायनी

वर्तमान स्थिति-- आज प्रकृति और मनुष्य के बीच सहयोग के स्थान पर संघर्ष छिडा हुआ है। मनुष्य प्रकृति को अपनी आज्ञाकारिणी दासी बनाने पर तुला हुआ है। प्राकृतिक देनों का निर्मम और अविवेकपूर्ण दोहन हो रहा है। जल हो या खनिज पदार्थ, वन हों या पर्वत. भूपृष्ठ हो या अन्तरिक्ष सभी मनुष्य द्वारा प्रकृति

के शोषण की कहानी कह रहे है। सुख-सुविधाओं को लालसा और औद्योगिकरण के अन्य अभियान ने पर्यावरण को प्रदूषित कर डाला है। प्रकृति से युद्ध छेड़ने का यह कुत्सित प्रयास, मनुष्य को आत्महत्या को दिया ने जा रहा है।

आदर्श सम्बन्ध का विकास-- यह निविवाद सत्य है कि मनुष्य अपने जीवन के लिए प्रकृति पर निर्भर है। संस्कृति, सभ्यता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के कीर्तिस्तम्भ उसने प्रकृति के उद्धार प्रांगण में स्थापित किये हैं। उसे प्रकृति प्रदत्त सामग्री का प्रयोग धैर्य, विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। प्रकृति के

साथ उसके सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए। यदि उसने प्राकृतिक संसाधनों का अनियन्त्रित दोहन जारी रखा तो वे शीघ्र ही समाप्त हो जायेंगे। पृथ्वी पर प्रकृति ने उसे जो वैभव उपलब्ध कराया है. वैसा आज तक किसी अन्य ग्रह पर उपस्थित नहीं है। श्रद्धा मनु से कहती है–

एक तुम , यह विस्तृत भूखण्ड प्रकृति वैभव से भरा अमन्द।

उपसंहार– मनुष्य और प्रकृति के सम्बन्ध को विकृत बनाने में दो बातें प्रधान रही हैं। एक तो जनसंख्या की बेहिसाब वृद्धि और दूसरी मनुष्य की दिनों-दिन बढ़ रही सांस्कृतिक दरिद्रता। पश्चिम की भोगवादी संस्कृति ने वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर प्रकृति के निर्मम दोहन के मार्ग खोले हैं। अब तो पश्चिमी जीवन शैली के उपासकों की समझ में भी आ गया है कि प्रकृति से दो-दो हाथ न करके उसका साथ देने में ही भलाई है। इसी कारण वहाँ प्रकृति के हर अंग को अप्रदूषित रखने पर अत्यन्त बल दिया जा रहा है। हर्बल उत्पादों की बढ़ती ग्राह्यता और ईको फ्रेण्डली उद्योगों पर बल दिया जाना इसी का प्रमाण है। न जाने भारत में लोग कब प्रकृति से अपने पूर्वजों जैसा नाता जोड़ेंगे?

8. विद्यार्थी और अनुशासन

भूमिका- जिस जीवन में कोई नियम या व्यवस्था नहीं, जिसकी कोई आस्था और आदर्श नहीं, वह मानव-जीवन नहीं पशु जीवन ही हो सकता है । ऊपर से स्थापित नियंत्रण या शासन सभी को अखरता है । इसीलिए अपने शासन में रहना सबसे सुखदायी होता है । बिना किसी भय या लोभ के नियमों का पालन करना ही अनुशासन है । विद्यालयों में तो अनुशासन में रहना और भी आवश्यक हो जाता है।

विद्यार्थी-जीवन और अनुशासन- वैसे तो जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है किन्तु जहाँ राष्ट्र की भावी पीढ़ियाँ ढलती हैं उस विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का होना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । किन्तु आज विद्यालयों में अनुशासन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है । अनुशासन में रहना आज के विद्यार्थियों को शायद अपनी शान के खिलाफ लगता है । अध्ययन के बजाय अन्य बातों में छात्रों की रुचि अधिक देखने में आती है।

अनुशासनहीनता के कारण- विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के पीछे मात्र छात्रों की उद्दण्डता ही कारण नहीं है । सामाजिक परिस्थितियाँ और बदलती जीवन-शैली भी इसके लिए जिम्मेदार है । टीवी ने छात्र को समय से पूर्व ही युवा बनाना प्रारम्भ कर दिया है । उसे फैशन और आडम्बरों में उलझाकर उसका मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है । बेरोजगारी, उचित मार्गदर्शन न मिलना तथा अभिभावकों का जिम्मेदारी से आँख चुराना भी अनुशासनहीनता के कारन है ।

दुष्परिणाम- छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता न केवल इनके भविष्य को अंधकारमय बना रही है बल्कि देश की भावी तस्वीर को भी बिगाड़ रही है । आज चुनौती और प्रतियोगिता का जमाना है । हर संस्था और कम्पनी श्रेष्ठ युवकों की तलाश में है । इस स्थिति में नकल से उत्तीर्ण और अनुशासनहीन छात्र कहाँ ठहर पायेंगे ? आदमी की शान अनुशासन तोड़ने में नहीं उसका स्वाभिमान के साथ पालन करने में है । अनुशासनहीनता ही अपराधियों और गुण्डों को जन्म दे रही है।

निवारण के उपाय- इस स्थिति से केवल अध्यापक या प्रधानाचार्य नहीं निपट सकते । इसकी जिम्मेदारी पूरे समाज को उठानी चाहिए। विद्यालयों में ऐसा वातावरण हो जिसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी अनुशासित रहकर शिक्षा का आदान-प्रदान कर सकें। अनुशासनहीन. राजनीतिज्ञों को भी अनुशासित होकर भावी पीढ़ी को प्रेरणा देनी होगी।

उपसंहार- आज का विद्यार्थी आँख बंद करके आदेशों का पालन करने वाला नहीं है । उसकी आँखें और कान, दोनों खुले हैं। समाज में जो कुछ घटित होगा वह छात्र के जीवन में भी प्रतिबिम्बित होगा । समाज अपने आपको सँभाले तो छात्र स्वयं सँभल जायेगा । अनुशासन की खुराक केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को पिलानी होगी । जब देश में चारों ओर अनुशासनहीनता छायी हुई है, तो विद्यालयों में इसकी आशा करना व्यर्थ है।

9. राजस्थान और पर्यटन

प्रस्तावना---आज 'पर्यटन' शब्द का एक विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है । आवागमन के साधनों की सुलभता के कारण विश्व में लाखो लोग पर्यटन के भौतिक और मानसिक लाभ उठाते हुए देश-देशान्तरों में भ्रमण कर रहे है । पर्यटन अब केवल मनोरंजन का ही साधन नही है अपितु संसार के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था ही पर्यटन पर आधारित हो गई है।

पर्यटन का महत्त्व-- पर्यटन का अनेक दृष्टियो से उल्लेखनीय महत्व है । इसका सर्वाधिक महत्त्व मनोरंजन के साधन के रूप में है। प्राकृतिक सौन्दर्य के दर्शन के साथ ही मानव कला-कौशल के अद्भुत नमूनों का परिचय पाने में पर्यटन अत्यन्त सहायक होता है । पर्यटन से विभिन्न देशों के निवासी एक-दुसरे के समीप आते हैं । इससे अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव और सम्पर्क में वृद्धि होती है । छात्र ज्ञानवर्ध्दक के लिए, व्यवसायी व्यापारिक सम्पर्क और बाजार की खोज के लिए, कलाकार आत्मतुष्टि और आर्थिक लाभ के लिए तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए पर्यटन करते हैं । पर्यटकों से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तथा राजस्व में वृद्धि होती है। पर्यटन से अनेक उद्योगों के विकास और विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ है । होटल उद्योग, गाइड व्यवसाय, कुटीर उद्योग तथा खुदरा व्यापार को पर्यटन ने बहुत लाभ पहुँचाया है । यही कारण है कि अब सरकारें भी पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं **पर्यटन-मानचित्र पर राजस्थान--** यों तो भारत के अनेक प्रदेश अपने प्राकृतिक सौन्दर्य और

जैविक विविधता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं, किन्तु राजस्थान का इस क्षेत्र में अपना अलग महत्त्व है । भारत के पर्यटन-मानचित्र पर राजस्थान का स्थान किसी अन्य प्रदेश से कम नहीं है । प्रतिवर्ष लाखो पर्यटकों को आकर्षित करने के कारण, आज राजस्थान भारत के पर्यटन-मानचित्र पर अपनी महत्त्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा चुका है।

राजस्थान के पर्यटन स्थल-- राजस्थान के पर्यटन स्थलों को प्राकृतिक, वास्तु-शिल्पीय तथा धार्मिक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

(i) प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में भरतपुर का घना पक्षी विहार प्रमुख है । यहाँ शीत ऋतु में साइबेरिया जैसे अतिदूरस्थ स्थलों से हजारों पक्षी प्रवास के लिए आते हैं । पक्षी-प्रेमियों और पर्यटकों के लिए यह सदैव ही आकर्षण का केन्द्र रहा है। सरिस्का तथा रणथम्भौर का बाघ अभयारण्य भी महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल रहा है । अब राजस्थान सरकार इसे पुनः नवजीवन प्रदान करने में रुचि ले रही है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की अनेक प्राकृतिक झीलें और गिरिवन भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं । पुष्कर, जयसमन्द, राजसमन्द आदि उल्लेखनीय झीलें हैं।

(ii) वास्तुशिल्पीय पर्यटन स्थलों में राजस्थान के महल, दुर्ग और मन्दिर आते हैं । जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि के राजभवन उल्लेखनीय पर्यटन स्थल हैं। राजस्थान में दुर्गों की भी दर्शनीय श्रृंखला है । इनमें जयपुर का नाहरगढ़, सवाई माधोपुर का रणथम्भौर, जैसलमेर का सोनार दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़, भीलवाड़ा का माण्डलगढ़, चित्तौड़गढ़ का भव्य चित्तौड़गढ़ आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं । राजस्थान में मन्दिर भी वास्तुशिल्प के अद्‌भुत नमूने हैं । ओसियाँ का मन्दिर, अपूर्णा का मन्दिर, रणकपुर का जैन मन्दिर और मन्दिरों का सिरमौर आबू स्थित दिलवाड़ा आदि हैं । इनके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ स्थित कीर्तिस्तम्भ राजस्थान की कीर्ति का प्रमाण है । अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह का भी पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है।

उपसंहार-- पर्यटन ने राजस्थान को विश्व के मानचित्र पर महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाया है । प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक राजस्थान आते हैं । इनसे राज्य को ख्याति के अतिरिक्त पर्याप्त राजस्व भी प्राप्त होता है । पर्यटन-विभाग एवं राजस्थानवासियों के पारस्परिक सहयोग से इस दिशा में श्रेय और प्रेय दोनों की सिद्‌धि हो सकती है।

10. जीवन का सच्चा सुखः स्वाधीनता

प्रस्तावना- 'सर्वं परवशं दुःखं, सर्वमात्मवशं सुख' परवशता में सब कुछ दुःख है और स्वाधीनता में सब कुछ सुख है। यह कथन हम प्रकृति के सारे प्राणी-जगत् के जीवन में प्रत्यक्ष देख सकते हैं। स्वतंत्रता हर प्राणी का जन्मसिद्‌ध अधिकार है।

पराधीनता का अभिशाप- संयोग से भारत एक ऐसी भूमि रहा है जहाँ के बारे में विदेशों में धारणा थी कि भारत सोने की चिड़िया है। बौद्ध काल में हमारे देश को लोग पानी के जहाजों, ऊँटों अथवा बैलों पर माल लेकर विदेशों में जाते थे। उस समय हमारे देश का व्यापार अरब देशों, मिस्र, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, यूनान तथा अन्य देशों से था। भारत की समृद्धि को देखकर यूनान के यात्री मेगस्थनीज, अरब के यात्री अबूबकर, चीन के यात्री फाह्यान और ह्वेनसांग ने भारत की यात्राएँ की थीं। इस समृद्धि को लूटने के लिए यूनान के सिकन्दर, मध्य एशिया के कुषाण, हूण और शक अरब देशों के महमूद बिन कासिम से लेकर मुगलों तक के लगातार भारत पर आक्रमण होते रहे। भारत को लगभग एक हजार वर्षों तक विदेशी पराधीनता में रहना पड़ा किन्तु भारत की जीवनी-शक्ति

का क्षय कभी नहीं हुआ–

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।

सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा।

जीवन सुख-स्वाधीनता जीवन का सच्चा सुख है। स्वाधीनता जीव-मात्र को प्रिय है। मनुष्य तो क्या कोई भी जीव-जन्तु, पशु-पक्षी पराधीन रहना नहीं चाहता। पशु वन में रहकर ही प्रसन्न रहते हैं। मनुष्य को भी स्वधीनता प्रिय है। पराये बंधन में रहकर मिलने वाले सुख उसे अच्छे नहीं लगते। चिड़िया पिंजड़े में रहने पर मिलने वाले दाना-पानी और सुरक्षा को पसंद नहीं करती और मौका पाते ही उड़ जाती है–

फिर भी चिड़िया, मुक्ति का गाना गायेगी

मारे जाने की आशंका होने पर भी

पिजड़े से जितना अंग निकाल सकेगी, निकालेगी

और पिंजड़ा खुलते ही उड़ जायेगी।

स्वतन्त्रता जीव मात्र का अधिकार---

दार्शनिक दृष्टि से मनुष्य ही नहीं संसार के सभी प्राणियों को स्वतन्त्रतापूर्वक रहने का अधिकार है। इसके लिए अनेक आयोग बने हुए हैं। मनुष्यों के लिए विश्वस्तर पर मानवाधिकार आयोग है जो धरती के हर देश में संयुक्त राष्ट्रसंघ की देख-रेख में मानवों के अधिकार की रक्षा करने का कार्य करता है। इसी प्रकार वन्यजीवों की रक्षा हेतु भी आयोग बने हुए हैं। कोई भी व्यक्ति आज पशु-पक्षियों को भी परतन्त्र नहीं बना सकता। सर्कस में कार्य करने वाले पशुओं को लेकर आयोग सदैव सक्रिय रहता है। शेर, रीछ, वानर आदि के खेल दिखाने पर पाबन्दी है। इस प्रकार संसार का हर प्राणी स्वाधीन रहने का अधिकारी है।

उपसंहार– लोकमान्य तिलक ने कहा था "स्वतन्त्रता मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार है।" इस अधिकार के अन्तर्गत मानव मात्र ही नहीं वरन् पशु-पक्षी भी आते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सारे विश्व को एक गाँव में परिवर्तित कर दिया है। सारा संसार आज स्वतन्त्रता का सुख भोग रहा है। छोटे से छोटा देश भी बिना सेना और हथियारों के स्वतन्त्रता का अधिकारी है। मानव संसार का बुद्धिमान प्राणी है, उसने सारे संसार के सभी जीवों को स्वतंत्रता का सुख भोगने का अधिकारी बना दिया है।

11. जब आवै संतोष धन सब धन धूरि समान

प्रस्तावना-- गौधन गजधन, वाजिधन, और रतन धन खानि ।

जब आवै संतोष धन, सब धन धूरि समान ॥

आज भले ही संतोषी स्वभाव वाले व्यक्ति को मुर्ख और कायर कहकर हँसी उड़ाई जाय लेकिन संतोष ऐसा गुण है जो आज भी सामाजिक सुख-शांति का आधार बन सकता है । असंतोष और लालसा ने श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों को उपेक्षित कर दिया है । चारों ओर ईर्ष्या, द्वेष और अस्वस्थ होड़ का बोलबाला है । परिणामस्वरूप मानव जीवन की सुख-शान्ति नष्ट हो गई है।

संसार की अर्थव्यवस्था में असंतोष-- आज सारा संसार पूँजीवादी व्यवस्था को अपनाकर अधिक-से-अधिक धन कमाने की होड में लगा हुआ है । उसकी मान्यता है कि कैसे भी हो अधिक-से-अधिक धन कमना चाहिए । धनोपार्जन में साधनों की पवित्रता-अपवित्रता का कोई महत्त्व नहीं रहा है । रिश्वत लेकर, मादक पदार्थ बेचकर, भ्रष्टाचार कर, टैक्स चोरी करके, मिलावट करके, महँगा बेचकर धन कमाना ही लोगों का लक्ष्य है। यही काला धन है। इससे ही लोग सुख और ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं। इसमें थोड़ा-बहुत धार्मिक कार्यों में दान देकर अथवा सामाजिक संस्थाओं को देकर वे दानदाता और उदार पुरुष का गौरव पाते हैं।

इस प्रकार संसार की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था दूषित हो गई है। अनैतिक आचरणों से धन कमाना आज का शिष्टाचार बन गया है । एक ओर अधिक-से-अधिक धन बटोरने की होड़ मची है तो दूसरी ओर भुखमरी और घोर गरीबी है । ये दोनों पक्ष आज की अर्थव्यवस्था के दो पहलू हैं, दो चेहरे हैं। अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है।

असंतोष का कारण-सम्पूर्ण मानव जाति आज जिस स्थिति में पहुँच गई है इसका कारण कहीं बाहर नहीं हैं स्वयं मनुष्य के मन में ही है । आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे केवल अपना सुख ही दिखाई देता है । वह स्वयं अधिक-से-अधिक धन कमाकर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता है । 'फोर्स' नामक पत्रिका ने इस स्पर्धा को और बढ़ा दिया है । इस पत्रिका में विश्व के धनपतियों की सम्पूर्ण सम्पत्ति का ब्यौरा होता हैं तथा उसी के अनुसार उन्हें श्रेणी प्रदान की

जाती है । अतः सबसे ऊपर नाम लिखाने की होड़ में धनपतियों में आपाधापी मची हुई है । यह संपत्ति असंतोष का कारण बनी हुई है । इसके अतिरिक्त घोर का भौतिकवादी दृष्टिकोण भी असंतोष का कारण बना हुआ है । 'खाओ, पियो, मौज करो' यही आज का जीवन-दर्शन बन गया

है । इसी कारण सारी नीति और मर्यादाएँ भूलकर आदमी अधिक-से-अधिक धन और सुख-सुविधाएँ बटोरने में लगा हुआ है । कवि प्रकाश जैन के शब्दों में---

हर ओर धोखा, झूठ, फरेब, हर आदमी टटोलता है दूसरे की जेब।

संतोष में ही समाधान-इच्छाओं का अंत नहीं, तृष्णा कभी शांत नहीं होती । असंतुष्टि की दौड़ कभी खत्म नहीं होती । जो धन असहज रूप से आता है वह कभी सुख-शांति नहीं दे सकता । झूठ बोलकर, तनाव झेलकर, अपरा-भावना का बोझ ढोते हुए, न्याय, नीति, धर्म से विमुख होकर जो धन कमाया जाएगा उससे चिन्ताएँ, आशंकाएँ

और भय ही मिलेगा, सुख नहीं । इस सारे जंजाल से छुटकारे का एक ही उपाय है - संतोष की भावना ।

उपसंहार- आज नहीं तो कल धन के दीवानेपन को अक्ल आएगी । धन समस्याओं को हल कर सकता है, भौतिक सुख-सुविधाएँ दिला सकता है, किन्तु मन की शांति तथा चिन्ताओं और शंकाओं से रहित जीवन धन से नहीं संतोष से ही प्राप्त हो सकता है । 'संतोषी सदा सुखी' यह कथन आज भी प्रासंगिक है । असंतोषी जब सिर धुनता है तब संतोषी सुख की नींद सोता है।

12. वरिष्ठ नागरिकों की समस्या

प्रस्तावना-- आजकल वयोवृद्ध, सेवानिवृत्त लोगों को एक सम्मानजनक नाम वरिष्ठ नागरिक दिया गया है । लगभग 60 वर्षीय वृद्ध जन वरिष्ठ नागरिक माने जाते हैं । यह शुभ लक्षण है कि इनकी समस्याओं की ओर समाज का ध्यान जा रहा है । जिन्होंने जीवन भर अपने कार्यों से समाज की विविध रूपों में सेवा की, वृद्धावस्था में उनकी समस्याओं पर ध्यान देना समाज का नैतिक कर्तव्य है । प्रायः समाज का यह वर्ग उपेक्षा का पात्र रहा है । परिवार में और परिवार के बाहर इन लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के प्रयत्न बहुत कम ही हुए हैं।

वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएँ-- वरिष्ठ नागरिकों की अनेक समस्याएँ हैं । इनमें सर्वप्रथम उनका स्वयं को अकेला अनुभव करना है । घर-परिवार में रहते हुए भी उन्हें लगता है कि उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है । वे स्वयं को अकेला और उपेक्षित अनुभव करते हैं ।

वरिष्ठ नागरिकों की एक प्रमुख समस्या है उनकी अस्वस्थता । वृद्धावस्था में प्रायः अनेक रोग व्यक्ति को पीड़ित करने लगते हैं। उनके स्वास्थ्य पर परिवारीजन अधिक ध्यान नहीं देते । शारीरिक अक्षमता और धन का अभाव दोनों ही उन्हें पीड़ित करते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों की एक भावनात्मक समस्या है उनको उचित सम्मान न मिलना। परिवार में और परिवार के बाहर उन्हें बेकार का आदमी समझकर समुचित सम्मान नहीं दिया जाता ।

समस्याओं के समाधान-- वरिष्ठ नागरिकों के एकाकीपन को दूर करने के लिए परिवार के सदस्यों को उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए । परिवार के बच्चों को उनके साथ वार्तालाप करने तथा खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए । वरिष्ठ नागरिकों के लिए मिलने-बैठने के स्थान, क्लब आदि की व्यवस्था होनी चाहिए ।।

वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य का परिवार के सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए। उनके उपचार की यथासंभव उचित व्यवस्था करनी चाहिए । अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधाएँ मिलनी चाहिए।

वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज के सम्माननीय अंग हैं । उनका सम्मान हमारी सामाजिक सभ्यता का परिचायक है । अत: हर स्थान पर उन्हें उचित आदर दिया जाना चाहिए ।

वरिष्ठ नागरिकों से अपेक्षाएँ--- वरिष्ठ नागरिकों को भी अपने आचार-व्यवहार के प्रति सचेत रहना चाहिए । उन्हें कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो उनकी गरिमा के प्रतिकूल हो । परिवार में रहते हुए उन्हें संयम और उदारता का परिचय देना चाहिए। परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर चलने पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए ।

उपसंहार-- यद्यपि सरकार और सामाजिक संस्थाओं ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं फिर भी उनको समाज में सुख और सम्मानपूर्वक रहने के लिए बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है । वृद्धावस्था पेंशन, रेलयात्रा में किराए में कटौती, बैंकों में अधिक ब्याज दिया जाना आदि सरकारी सुविधाएँ हैं । इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों ने भी वृद्धाश्रम तथा क्लब आदि स्थापित किए हैं । आशा है समाज आर्थिक और पारिवारिक रूप से विपन्न वृद्ध लोगों पर विशेष ध्यान देगा ।

13. जनसंख्या वृद्धि की समस्या

प्रस्तावना-- आज भारत की जनसंख्या एक अरब पच्चीस करोड़ से भी ऊपर जा पहुँची है । महान भारत की इस उपलब्धि पर भी इतराने वाले कुछ विचार विमूढ़ हो सकते हैं । हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जनसंख्या का यह दैत्याकार रथ विकास के सारे कीर्तिमानों को रौंदता हुआ देश के

भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है। बढ़ती जनसंख्या की समस्या-भारत की जनसंख्या में अनियन्त्रित वृद्धि सारी समस्याओं का मूल कारण बनी हुई है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अपराध-वृद्धि, तनाव, असुरक्षा, सभी जनसंख्या वृद्धि के ही परिणाम हैं । भारत के विश्व की महाशक्ति बनने के सपने जनसंख्या के प्रहार से ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं । 'एक अनार सौ बीमार' यह कहावत चरितार्थ हो रही है । जनसंख्या वृद्धि के महा-अश्वमेध का घोड़ा शेयर बाजार के उफान, मुद्राकोष की ठसक, विदेशी निवेश की दमक सबको अँगूठा दिखाता आगे-आगे दौड़ रहा है।

जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम-- जनसंख्या और उत्पादन-दर में चोर-सिपाही का खेल होता रहता है । जनसंख्या-वृद्धि आगे-आगे दौड़ती है और पीछे-पीछे उत्पादन-वृद्धि । वास्तविकता यह है कि उत्पादन वृद्धि के सारे लाभ को जनसंख्या की वृद्धि व्यर्थ कर देती है । आज हमारे देश में यही हो रहा है । जनसंख्या वृद्धि सारी समस्याओं की जननी है । बढ़ती महँगाई, बेरोजगारी, कृषि-भूमि की कमी, उपभोक्ता-वस्तुओं का अभाव, यातायात की कठिनाई सबके मूल में यही बढ़ती जनसंख्या है।

नियंत्रण के उपाय-- आज के विश्व में जनसंख्या पर नियंत्रण रखना प्रगति और समृद्धि के लिए अनिवार्यतः आवश्यकता है । भारत जैसे विकासशील देशके लिए जनसंख्या नियन्त्रण परम आवश्यक है । जनसंख्या पर

नियन्त्रण के अनेक उपाय हो सकते हैं ।

(i) वैवाहिक आयु में वृद्धि करना एक सहज उपाय है । बाल विवाहों पर कठोर नियन्त्रण होना चाहिए । (ii) दूसरा उपाय संतति-निग्रह अर्थात् छोटा परिवार है । परिवार नियोजन के अनेक उपाय आज उपलब्ध हैं । (iii) तीसरा उपाय राजकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना है । परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यक्तियों को वेतन वृद्धि देकर, पुरस्कृत करके तथा नौकरियों में प्राथमिकता देकर भी जनसंख्या नियन्त्रण को प्रभावी बनाया जा सकता है । (iv) इनके अतिरिक्त शिक्षा के प्रसार द्वारा तथा धार्मिक और सामाजिक नेताओं का सहयोग भी जनसंख्या-नियन्त्रण में सहायक हो सकता है । ये सभी तो प्रोत्साहन और पुरस्कार से सम्बन्धित हैं किन्तु कठोर दण्ड के भय के बिना विशेष सफलता नहीं मिल सकती। धर्म-जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवस्था के रहते हुए भी जनसंख्या पर नियन्त्रण असम्भव है।

उपसंहार-- आज देश के सामने जितनी समस्याएँ हैं प्रायः सभी के मूल में जनसंख्या वृद्धि ही मूख्य कारण दिखाई देता है । जनता और सरकार दोनों ने ही इस भयावह समस्या से आँखें बंद कर रखी हैं । इस खतरे की घंटी की आवाज को अनसुना किया जा रहा है । कहीं ऐसा न हो कि यह सुप्त ज्वालामुखी एक दिन अपने विकट विस्फोट से राष्ट्र के कुशल-क्षेम को जलाकर राख कर दे।

14. राजस्थान की संस्कृति

प्रस्तावना– सभ्यता और संस्कृति के विषय में बड़ा भ्रम है। किसी विचार और व्यवहार को निखारना, धोना, माँजना या उसमें उत्तमोतम गुणों का आधान करना ही संस्कृति है। किसी समाज के विचारों, परम्पराओं, दर्शन, व शिल्प, साहित्य तथा धार्मिक विश्वासों सामूहिक नाम ही संस्कृति कहा जाता बहुधा संस्कृति और सभ्यता को एक स लिया जाता है किन्तु यह ठीक नहीं है। संस् मानव समाज का आन्तरिक सतत् विका तो सभ्यता उसके बाह्य भौतिक जीवन प्रदर्शन है।

राजस्थान की सांस्कृतिक विशेषता---

राजस्थानी संस्कृति की अनेक निजी तथा सामान्य विशेषताएँ हैं, जो इस प्रकार हैं–

(i) **शूरता की साधना–**राजस्थान सदा से शूरवीरों की जन्मस्थली रहा है। वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की भावना इस प्रदेश के कण-कण में और मन-मन में समाई रही है। यहाँ के कवियों ने भी इस भावना पर धार चढ़ाई है--

बादल ज्यूँ सुरधनुस बिण, तिलक बिणा दुज-पूत।

बनौ न सोभे मौड़ बिण, घाव बिणा रजपूत ॥

यहाँ की माताओं ने पालने में ही पुत्र को अपनी भूमि की रक्षा पर प्राण निछावर करने की लोरियाँ सुनाई हैं। व्यक्तिगत वीरता के प्रदर्शन की उन्मत्तता ने इस धरती पर अनेक निरर्थक रक्तपात भी कराये हैं तथापि शूर-वीरता राजस्थानी संस्कृति का प्रधान गुण है।

(ii) शरणागत रक्षा– यहाँ के शासकों ने शरण में आए शत्रुपक्षीय व्यक्ति की रक्षा में अपना सर्वस्व तक दाँव पर लगाया है। हमीर इस परम्परा की मूर्धन्य मणि हैं।

(iii) जौहर व्रत–यह भी राजस्थानी संस्कृति की निजी विशेषता रही है। पतियों के केसरिया बाना धारण करके युद्धभूमि में जाने के पश्चात अपने सतीत्व की रक्षा तथा पत्नीव्रत का पालन करने वाली राजपूत नारियाँ .जलती चिता में कूदकर जान दे देती थीं। इसी को जौहर कहते हैं।

(iv) अतिथि-सत्कार-- राजस्थान अपने उदार आतिथ्य भाव के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है। अतिथि बनने पर शत्रुओं तक को उचित सम्मान देना, यहाँ की संस्कृति की विशेषता रही है।

(v) साहित्य एवं कला प्रेम-- राजस्थान में केवल रण की ही साधना नहीं हुई, यहाँ शिल्प, कला और साहित्य को भी भरपूर सम्मान और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। कवियों को राज्याश्रय मिला। अनेक उत्कृष्ट काव्यकृतियों का सृजन हुआ और आज तक यह परम्परा निर्बाध चली आ रही है। यहाँ केवल अभेद्य दुर्ग ही निर्मित नहीं हुए अपितु भव्य आवासों, मन्दिरों, जलाशयों तथा कीर्ति-स्तम्भों का भी

निर्माण हुआ। लोकगीत, लोकनाट्य, कठपुतली प्रदर्शन, संगीत, नृत्य आदि कलाओं ने भी यहाँ समुचित सम्मान पाया है।

(vi) त्यौहार तथा उत्सव-- राजस्थान अपने त्यौहारों और उत्सवों के लिये भी प्रसिद्ध है। गणगौर तथा तीज जैसे विशिष्ट सांस्कृतिक छाप वाले त्यौहारों के साथ यहाँ सभी प्रदेशों में प्रचलित होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबन्धन आदि त्यौहार भी उत्साह के साथ मनाये जाते हैं। त्यौहारों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले और उत्सव भी मनाये जाते हैं। पुष्कर, करौली, भरतपुर, तिलवाड़ा, धौलपुर आदि के उत्सव प्रसिद्ध हैं।

उपसंहार– राजस्थानी संस्कृति पुरानी और परम्परा प्रिय रही है किन्तु वह निरन्तर विकासशील भी है। देश तथा विदेश में होने वाले नवीन परिवर्तन से वह अछूती नहीं है। अपनी परम्परागत विशेषताओं की रक्षा करते हुए वह नवीनता की लहरों में भी बह रही है। आधुनिकता तथा परम्परा का यह समन्वय राजस्थान की संस्कृति को जीवन्त बनाये रखेगा।